न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2012

प्रार्थी

1 सुगालराम पुत्र धुलाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया गेट के बाहर , सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

1. बस्ताराम पुत्र धुलाराम जाति धांची निवासी पावटी का बास सुथारों की गली सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली

2. रामसिंह पुत्र शुभकरण जाति चारण निवासी खारीकंला जिला जोधपुर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री भुण्डाराम चोधरी व श्री शान्तिप्रसाद माथुर (अधिवक्तागण प्रार्थीगण)
2. श्री जुगलकिशोर अप्रार्थी संख्या 1 एवं श्री गोरादान आशिया अधिवक्तागण अप्रार्थीगण संख्या 2

–:आदेशः– दिनांक 07.02.2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में खसरा नम्बर 370 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बंजड व जाव सोयम तथा खसरा नम्बर 372 रकबा 01.1000 हैक्टर किस्म जा0 सो0 कुल किता 2 रकबा 02.1800 हैक्टर की कृषि जोत की भूमि स्थित है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 बस्ताराम के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य आज से करीब 18–20 वर्ष पूर्व आपसी बंटवाडा हो चुका है। उक्त आपसी बंटवाडा अनुसार खसरा नम्बर 370 प्रार्थी सुगालराम के हक हिस्से में आया व खसरा नम्बर 372 अप्रार्थी संख्या 1 बस्ताराम के हक हिस्से में आया । इसी माफिक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 वक्त आपसी बंटवाडा के समय से आज दिन तक लगातार बिना रोक टोक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त कर रहे है व प्रार्थी ने अपने हिस्से में खसरा नम्बर 370 मे आज से 10–12 वर्ष पूर्व मेहन्दी की फसल लगा दी है। दिनांक 13.11.2009 को अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि जोत की भूमि का अपने हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 372 का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 रामसिंह के पक्ष मे कर दिया। किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के संयुक्त खातेदारी की होने से सम्पूर्ण खसरा नम्बर 370 व 372 का 1/2 का हिस्सा का बेचाननामा अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में तहरीर तकमील किया, किन्तु मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 372 रकबा 1.1000 हैक्टर का दिया गया। इसी माफिक वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 370 रकबा 1.0800 हैक्टर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा आपसी बंटवाडा माफिक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त है। दिनांक 23.7.2012 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 370 की पूर्वी माठ के सहारे खडे पत्थर के टुकडे हटाने व एलानियां धमकिया देने पर किया । वादस्थ कृषि भूमि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

की भूमि में मुझ अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है, तब प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर वादस्थ कृषि भूमि का 1/2 हिस्से का बेचान रजिस्ट्री करवा दी है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 372 पर आपसी बंटवाडा अनुसार काबिज काश्त था तथा उसी माफिक बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को खसरा नम्बर 372 रकबा 1.1000 हैक्टर का किया था, तथा कब्जा सुपुर्द किया था। अप्रार्थीगण की प्रार्थी द्वारा उपजाउ की गई भूमि खसरा नम्बर 370 की कृषि भूमि तथा उस पर लगी मेहन्दी की फसल को हडप करने की नियत है। अगर अप्रार्थीगण अपने इरादो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को बडी हकतलफी होगी। अतएव प्रार्थी वादस्थ कृषि जोत की भूमि को डिविजन ऑफ होल्डिंग बंटवाडा का तथा खसरा नम्बर 370 रकबा 1.0800 हैक्टर की कृषि भूमि की प्रार्थी की खातेदारी घोषणा तथा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 370 से बेदखल करने व जोर जबरदस्ती तारबंदी व बेचान करने उप उतारू होने से विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बंजड व जा0 सो0की प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण को दखल अन्दाजी करने से अन्य किसी को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जोन की ईस्तदुआ की

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पदसंख्या 1 के तथ्यों को गलत होने से अस्वीकार किया है। पद सही है कि वादस्थ कृषि जोत भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व मुझ अप्रार्थी संख्या 1 बस्ताराम के नाम की संयुक्त खातेदारी भूमि थी। 18 से 20 वर्ष पूर्व प्रार्थी व मुझ अप्रार्थी संख्या 1 मध्य आपसी बंटवाडा वादस्थ कृषि जोत की भूमि का हो चुका है। जिसमें खसरा नम्बर 370 प्रार्थी के हक हिस्से में आया तथा खसरा नम्बर 372 मुझ अप्रार्थी संख्या 1 बस्ताराम के हिस्से में रहा । तब से लगाकार मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के बेचान तक खसरा नम्बर 372 पर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त रहा है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने बेचान के समय अप्रार्थी संख्या 2 को भली भांति बता दिया था कि कब्जा खसरा नम्बर 372 पर मेरा है तथा इसी भूमि का बेचान आप अप्रार्थी संख्या 2 को कर रहा हूं। दिनांक 13.11.2009 को मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को अवश्य ही उक्त वादस्थ कृषि जोत की भूमि के 1/2 हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किया है किन्तु कब्जा खसरा नम्बर 372 का ही दिया है। तथा मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बेचान भी खसरा नम्बर 372 का ही दिया है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचान भी खसरा नम्बर 372 का ही किया है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने से मात्र बेचान रजिस्ट्री में वादस्थ कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा बेचान का लिखवाया है। प्रार्थी व अप्रार्थी के बिच विवाद की जानकारी मुझे नही है। यह भी अस्वीकर किया है कि कोई मिलावट कर उक्त वादस्थ भूमि का बेचान किया है। इस जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों विन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही है। तथा प्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दुविधा नही होने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। दिनांक 27.01.2017 को जवाब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया है। उक्त वादरथ भूमि का 18–20 वर्ष पूर्व बंटवाडा होने के तथ्य को गलत बताया। खसरा नम्बर 370 प्रार्थी एवं 372 अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में होने तथा कब्जा काश्त उनका होना अस्वीकार किया है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि होना अंकित किया है। उक्त भूमि का माप एवं सीमांकन से विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा 2 को विक्रय विलेख निष्पादन के दिन दोनो खसरान का कब्जा सोप देने से उनका दोनो खसरो में कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 370 व 372 दोनो पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त आज भी है। खसरा नम्बर 370 की पूर्वी माठ के सहारे खडे पत्थर के टुकडों को हटाने तथा पूर्व में बंटवाडा होने के तथ्यों को गलत होना अंकित किया है। इस प्रकार जवाब अप्रार्थी संख्या 02 ने पेश कर पूर्वोक्त समस्त तथा अस्वीकार कर खसरा नम्बर 370 व 372 के खातेदार काश्तकार व मौके पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि खसरा नम्बर 370 व 372 की संयुक्त खातेदारी की विवाद ग्रस्त भूमि है, जिसका मौके पर पूर्व में आपस में आपसी बंटवाडा हो रखा है।उक्त आपसी सहमति के अनुसार खसरा नम्बर 370 रकबा 1. 0800 हैक्टर प्रार्थी के हक हिस्से में आया व खसरा नम्बर 372 रकबा 1.0100 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से आया। इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त रहा। अप्रार्थी संख्या सं0 1 के हिस्से आया। इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त रहा। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी सं02 को अपने हक हिस्से की खसरा नम्बर 372 की भूमि का बेचान किया किन्तु खातेदारी संयुक्त होने से बेचान खातेदारी दोनों खसरान का उल्लेख किया है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने 2 को खसरा संख्या 372 का ही कब्जा सुपुर्द किया है। बहस में यह भी व्यक्त किया कि खसरा नम्बर 370 पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई कब्जा न होकर प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 2 को अजनबी केता बताते हुए बंटवाडा करवाये बिना कब्जा प्राप्त नही कर सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह मामला मजबुत सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष होने से प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ईश्तदुआ जारी किये जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथनों के समर्थन में कमशः RRD 1996 Page 247, RRD 2006 Page 627, RRD 2008 Page 197, RRD 2010 Page 96 के न्यायिक दृष्टान्त/ उद्धरण पेश किये है। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहे तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 रिकोर्डड खातेदार है, के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। धारा 53 (1) आपसी सहमति के अनुसार विभाजन का अधिकार सक्षम अधिकारी टी0डी0आर0 को है, जो लिखित बंटवाडा के आधार पर बंटवाडा कर सकता है, जो इस प्रा0पत्र प्रकरण में पेश नहीं हुआ है तथा न ही तस्दीक शुदा बंटवाडा हुआ है तथा न ही कोई लिखित सुद्ध एग्रीमेन्ट किया है। संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारान का शामलाती कब्जा माना जाने से एवं कानूनन लिखित बंटवाडा नही होने से अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथनों के समर्थन में RRT 2015 (1) Page 633, RRT 2016 (1) Page 113, RRT 2018 (1) Page 405 RRD 2004 Page 170,

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

RRD 2005 Page 505, RRD 2013 (1) Page 513 \, 519, RRT 2016 (2) Page 1350, RRD 2017 Page 395, RRT 2016 (2) Page 789 RRT 2016 (1) Page 258, RRT 2015(2) Page 898, 2019(1) CJ (CIV) (Raj) Page 50, 161 के न्यायिक दृष्टान्त उद्धरण अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने पेश किये है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दस्तावेजात तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर का मनन किया गया। वस्तुतः विवादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार संयुक्त एवं सामलाती होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है पंजीबद्ध विक्रय विलेख का खण्डन मौखिक साक्ष्य से नही किया जा सकता है। फहरिश्त मय दस्तावेजात अधिवक्ता अप्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30.01.2019 रा0द0 स0 101/09 अशोककुमार बनाम बस्ताराम में अप्रार्थी सं0 01 बस्ताराम स्वयं द्वारा खसरा नम्बर 370 व 372 की भूमि का संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार किया है। कानूनन लिखित बंटवाडा के दस्तावेजात पेश न करने की स्थिति मौखिक बंटवाडा हो जाने का कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है जिससे प्रथम दृष्टया विवादग्रस्त उक्त भूमि संयुक्त व सामलाती होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है जिससे चूंकि अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उद्धरण भी अधिवक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों/ उद्धरणों की अपेक्षाकृत अप्रार्थी में संख्या 02 के पक्ष में प्रमाणित होकर उचित चस्पा होते है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष प्रमाणित नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट 1955 का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्य हीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 का सारहीन आधारहीन तथा तथ्यहीन होने से खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली मूल वादके साथ नत्थी हों

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner